



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 23 राँची, बुधवार
3 अग्रहायण, 1943 (श०)
24 नवम्बर, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 314- 320
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस-सी., बी.ए,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक-- ...

पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****नगर विकास एवं आवास विभाग**

आदेश

9 अप्रैल, 2021

संख्या-SUDA/AMRUT/15th FC-PFMS/17/2021/UDHD/49--महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 27.11.2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई तथा आयोग को राज्यों के संचित निधि में बढ़ोतरी के लिए उपाय सुझाने का दायित्व सौंपा गया। उक्त के आलोक में 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 से 2025-26 हेतु सौंपे गये प्रतिवेदन को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2. 15वें वित्त आयोग द्वारा सहायता अनुदान की राशि आवंटित करने हेतु जनसंख्या के आधार पर नगर निकायों को दो भाग में रखा गया है:- Million Plus-Cities एवं Non Million Cities.
3. 15वें वित्त आयोग द्वारा Million Plus Cities हेतु 2 प्रकार का Tied Grant निकायों को आवंटित किया जा रहा है:-
 - a. Tied Grant for ambient Air Quality improvement
 - b. Tied Grant of Water Supply, Water Conservation and SWM& Sanitation
4. 15वें वित्त आयोग द्वारा Non Million Cities हेतु भी दो प्रकार का Grant निकायों को आवंटित किया जा रहा है:-
 - a. Basic /Un-Tied Grant जिसका उपयोग निकायों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर योजना का चयन कर किया जाना है। (Salary और Establishment Expenses को छोड़कर)
 - b. Tied Grant जिसका उपयोग Water Supply, Water Conservation एवं SWM & Sanitation हेतु किया जाना है।
5. 15वें वित्त आयोग अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की राशि निकायों को जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुसार आवंटित किया जाता है, जिसका संधारण अब तक निकायों

- द्वारा निकटतम/संबंधित कोषागार में निकाय के Personal Ledger (PL) खाता में किया जाता है।
6. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के D.O. No. 11025-01/2018-AMRUT-IIB दिनांक 19.02.2021 द्वारा निदेश दिया गया है कि 15वें वित्त आयोग अंतर्गत आवंटित Tied एवं Untied Grant की राशि का संधारण बैंक खाता में किया जाय एवं बैंक खाता का Link Public Finance Management System (PFMS) से किया जाय, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
 7. झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 261(b) द्वारा सहायता अनुदान में प्राप्त राशि को बैंक खाते में न रखकर संबंधित कोषागार में पी०एल० खाता खोलकर रखने का प्रावधान किया गया है, किन्तु योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प सं० वित्त-19/वित्त नियंत्रण-3006/15-2917/वि० दिनांक 30.09.2016 द्वारा झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 261(b) को शिथिल करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय योजनाओं की सहायता अनुदान राशि को केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में रखी जा सकती है। उक्त के आलोक में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि को संबंधित निकायों के बैंक खाते में रखने हेतु योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है।
 8. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में अवरोध न हो तथा राशि के प्रबंधन में सुगमता एवं पारदर्शिता हो इस के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा 15वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त Tied एवं Untied Grant की राशि संधारित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग बैंक खाता खोला जायेगा।
 9. निकायों द्वारा बैंक खाते का Integration/link PFMS से कराना अनिवार्य होगा।
 10. निकायों द्वारा राशि का भुगतान सिर्फ PFMS के माध्यम से ही किया जायेगा।
 11. प्रस्ताव पर योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
 12. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विनय कुमार चैबे,
सरकार के सचिव।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं GIRIRAJ KUMAR BHAGAT अन्य नाम GIRIRAJ BHAGAT पिता GIRWAR BHAGAT, शपथ पत्र सं० 247, दिनांक 20 नवम्बर, 2021 के अनुसार GIRIRAJ KUMAR BHAGAT के नाम से जाना जाऊँगा।

GIRIRAJ KUMAR BHAGAT एवं GIRIRAJ BHAGAT दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- C/O - GIRWAR BHAGAT,
BHUSUR ZALIM KHURD LATEHAR,
P.S. - LATEHAR,
DIST.- LATEHAR,
PIN - 829206
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MANORMA DEVI अन्य नाम MANORAMA पति SANJAY KUMAR SINGH, पिता ESHVARI SINGH, शपथ पत्र सं० 338, दिनांक 7 अप्रैल, 2021 के अनुसार MANORMA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

MANORMA DEVI एवं MANORAMA दोनों एक ही महिला का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- SECTOR- 4/E,
QR. NO.- 2187,
STREET- 09,
P.O. & P.S.- SECTOR - 4,
BOKARO STEEL CITY,
DIST.- BOKARO,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं GAYATRI GUPTA CHOWDHURY अन्य नाम GAYATRI एवं GAYUATRI CHOWDHURY तथा KUMARI GAYUATRI CHOWDHURY पति MAINAK GUPTA, शपथ पत्र सं० 6, दिनांक 16 नवम्बर, 2021 के अनुसार GAYATRI GUPTA CHOWDHURY के नाम से जानी जाऊँगी।

GAYATRI GUPTA CHOWDHURY एवं GAYATRI, GAYUATRI CHOWDHURY तथा KUMARI GAYUATRI CHOWDHURY सभी एक ही महिला का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- MAINAK GUPTA,
A- 5/9, ADITYA HOMES,
7TH EXTENSION ROAD,
SONARI JAMSHEDPUR,
PIN- 831011
DIST.- EAST SINGHBHUM,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

में PUJA GUPTA अन्य नाम POOJA GUPTA पति SATYENDRA KUMAR GUPTA, शपथ पत्र सं० 696, दिनांक 11 सितम्बर, 2021 के अनुसार PUJA GUPTA के नाम से जानी जाऊँगी ।

PUJA GUPTA एवं POOJA GUPTA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- 286, N.C.D.C. COLONY,
P.T.P.S., C.C.L. COLONY,
PATRATU, RAMGARH,
PIN- 829119
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

में GANESH MAHTO अन्य नाम GANESH MAHATO पिता DASHAIYA MAHTO, शपथ पत्र सं० 13, दिनांक 30 जून, 2020 के अनुसार GANESH MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा ।

GANESH MAHTO एवं GANESH MAHATO दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- SECTOR - 8/D NEW,
QR. NO.- 3011,
P.O.- SECTOR- 9,
P.S.- HARLA,
DIST.-BOKARO,
PIN- 827009,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ABHILASHA NIDHI अन्य नाम ABHILASHA पिता RANJAN CHOUDHARY, शपथ पत्र सं० 234, दिनांक 25 फरवरी, 2021 के अनुसार ABHILASHA NIDHI के नाम से जानी जाऊँगी ।

ABHILASHA NIDHI एवं ABHILASHA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- FLAT NO- 502-A,
GANESH ENCLAVE,
MAGISTRATE COLONY,
OPP. YUVRAJ PALACE,
P.O. & P.S.- DORANDA,
DIST.- RANCHI,
PIN- 834002
